

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2025 को 01:30 बजे अपराहन में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली सं0-01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक 24.01.2025 के कार्यवाही के अनुपालन पर विचार :-

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-02

प्राधिकार की बैठक दिनांक -24.01.2025 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :-

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल-12 प्राधिकरण-पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-03

प्राधिकार की बैठक दिनांक-24.01.2025 के बाद निर्गत पीक अप भान/ट्रक के स्थाई परमिट/अस्थायी परमिट का ब्यौरा :-

(क) ट्रक/पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-04

प्राधिकार की बैठक दिनांक -24.01.2025 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई परमिट का ब्यौरा :-

बस/मिनी बस/सिटी राईड के कुल-1220 (दिनांक 19.02.2025 तक) EXCURSION परमिट निर्गत किए गए हैं।
विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक-24.01.2025 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचार:-
दिनांक-19.02.2025 तक बस/मिनी बस के कुल 12 स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया:-



क्र०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं०/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	मोनिका कुमारी	BR11PD-1777 (बस) 2024 Cap- 41	पूरुणिया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-424	अप्राप्त	स्वीकृत
2	मो० साफात आलम	BR11T-6901 (बस) 2015 Cap-43	पूरुणिया से गरवाढांगा कुल खेप-01 कुल दूरी-260	अप्राप्त	स्वीकृत
3	इस्तियाक आलम	BR11PD-1747 (बस) 2025 Cap-41	पूरुणिया से तालगाछ कुल खेप-02 कुल दूरी-480	अप्राप्त	स्वीकृत
4	कौशल कुमार सिंह	BR10PB-8908 (बस) 2015 Cap-41	पूरुणिया से भागलपुर डिक्सन मोड़ कुल खेप-02 कुल दूरी-340	अप्राप्त	स्वीकृत
5	स्वराज कुमार सिंह	BR11M-4422 (बस) 2012 Cap- 35	चपहरी से पूरुणिया कुल खेप-02 कुल दूरी-280	अप्राप्त	परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।

6	वीणा सिंह	BR37P-4577 (बस) 2015 Cap- 43	पूर्णिया से भागलपुर कुल खेप-03 कुल दूरी-510	अप्राप्त	वाहन की उम्रसीमा अगस्त 2025 में 10 वर्ष पूर्ण हो जाएगी ऐसे में इसे प्रतिदिन केवल 400 कि0 मी0 की परिचालन दूरी अनुमान्य है। परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 10 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।
7	इस्तियाक आलम	BR11PD-1749 (बस) 2025 Cap- 41	पूर्णिया से सिंधीमारी कुल खेप-02 कुल दूरी-480	अप्राप्त	स्वीकृत
8	संजय कुमार चौधारी	BR10PA-1459 (बस) 2013 Cap- 41	अकबरपुर से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-280	अप्राप्त	परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।

9	अभिषेक रमण	BR10PC-1627 (बस) 2024 Cap- 45	पूर्णिया से भागलपुर डिक्सन मोड़ कुल खेप-03 कुल दूरी-540	वाहन सं0-BR10PA4134 के वाहन स्वामी विनोद साह द्वारा अपने परमिट सं0-BR2024-SC-2316A से पूर्णिया प्रस्थान 11:48 पर आपत्ती दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान 11:49 है। प्रस्थान बिन्दु पूर्णिया पर मात्र 1 मिनट का समय अंतराल है।	आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिचालन मार्ग पूर्णिया से भागलपुर है प्रस्थान बिन्दु पूर्णिया पर न्यूनतम चार मिनट का समय-अंतराल रखना अनिवार्य है। आवेदक को प्रस्थान बिन्दु पूर्णिया पर न्यूनतम चार मिनट का समय-अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसका प्रकाशन एक पक्ष हेतु कार्यालय सूचना पट्ट पर किया जाए। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसकी सुनवाई प्राधिकार के आगामी बैठक में की जाएगी।
10	सालेहा खातून	BR11M-7833 (बस) 2013 Cap- 53	चकय से पूर्णिया कुल खेप-02 कुल दूरी-320	BR11PA-4268 के वाहन स्वामी मो0 ममनून द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0-BR2024-SC-1446A से रौटा प्रस्थान-07:53, अमौर प्रस्थान-08:20 एवं वायसी प्रस्थान-08:53 पर आपत्ती दी गई है। आपत्तिकर्ता का रौटा प्रस्थान-07:56, अमौर प्रस्थान-08:22 एवं वायसी प्रस्थान-08:55 है।	आपत्तिकर्ता का परिचालन मार्ग लोचाघाट से पूर्णिया है जबकि आवेदक का परिचालन मार्ग चकई से पूर्णिया है दोनों मार्ग पुर्णतः अलग-अलग हैं। सभी आपत्ती बिन्दु मध्य के बिन्दु है जहाँ न्यूनतम दो मिनट का समय अंतराल रखा गया है। अतएव आपत्ती स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है। परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।

11	सुमित कुमार तिवारी	BR11PD-9594 (बस) 2024 Cap- 45	पुर्णिया से भागलपुर कुल खेप-03 कुल दूरी-510	आवेदक द्वारा अपने वर्तमान वाहन सं0-BR11PA8952 के पक्ष निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2024-SC-2648A पर अपने नए वाहन सं0-BR11PD-9594 को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं।	वाहन सं0- BR11PA-8952 का निबंधन वर्ष 2015 एवं बैटान की क्षमता-42 है। जबकि प्रतिस्थापित वाहन BR11PD-9594 का निबंधन वर्ष-2024 एवं बैटान क्षमता-45 है। नियमतः परमिट के समय-सारणी का पुराने मॉडल से नये मॉडल में प्रतिस्थापित किया जाना है। अतएव उक्त वाहन के प्रतिस्थापन की स्वीकृति दी जाती है।
12	शिशु राज	BR11PB-5445 (बस) 2018 Cap- 42	जोगबनी से पूर्णिया कुल खेप-02 कुल दूरी-360	आवेदक द्वारा अपने नए वाहन सं0-BR11PD-0946 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2024-SC-2375A पर अपने पुराने वाहन सं0-BR11PB5445 को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं।	BR11PD-0946 का निबंधन वर्ष 2024 है जबकि वाहन सं0-BR11PB-5445 का निबंधन वर्ष 2018 है। नए मॉडल से पुराने मॉडल में प्रतिस्थापन नियमांकुल नहीं होगा। यदि आवेदक स्थायी परमिट सं0-BR2024-SC-2375A को प्रत्यावर्तित कर इसमें अंकित समय-सारणी पर वाहन सं0-BR11PB-5445 के स्थायी परमिट हेतु आवेदन देते हैं तो उस समय-सारणी पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी।

44

4

कार्यावली सं0-05(क)

प्राधिकार की बैठक दिनांक-24.01.2025 के बाद निर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 01 स्थायी परमिट की संपुष्टि पर विचार:-

क्र0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	बी.एस.आर.टी. सी.	BR01PL-7634 (बस) 2021 Cap-42	महादिग्धी से कटिहार कुल खेप-1 कुल दूरी-212	अप्राप्त	संपुष्ट

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-6.

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 24.01.2025 के बाद जीप/ऑटो रिक्षा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-

- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्षा/मोटर कैब के स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक/पी भान के अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

(रवि राकेश)
अपर समाहर्ता, पूर्णिया
-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

(शाहिद परवेज)
संयुक्त आयुक्त सह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

Recd.
21/2/2025
(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

कार्यावली सं0-05(क)

प्राधिकार की बैठक दिनांक-24.01.2025 के बाद निर्गत बिहार पथ परिवहन निगम के 01 स्थायी परमिट की संपुष्टि पर विचार:-

क्र0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	बी.एस.आर.टी. सी.	BR01PL-7634 (बस) 2021 Cap-42	महादिग्धी से कटिहार कुल खेप-1 कुल दूरी-212	अप्राप्त	संपुष्ट

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-6.

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 24.01.2025 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-

- (क) जीप एवं सदस्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक/पी भान के अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0 /

(रवि राकेश)
अपर समाहर्ता, पूर्णिया
-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

ह0 /

(शाहिद परवेज)
संयुक्त आयुक्त सह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

ह0 /

(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

ज्ञापांक-253 दिनांक-21-02-2025

- प्रतिलिपि:- 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- 02. अपर समाहर्ता-सह-सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(शाहिद परवेज)

संयुक्त आयुक्त सह सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।